नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार की अनुदान वाली योजनायें

महत्वपूर्ण पहलुएं :-

1.प्रत्येक योजना के चालू रखने का अनुमोदन रखने का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा हरेक वर्ष दिया जाता है। अत: किसी भी अनुदान संबंधी कार्रवाई के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि खास योजना को जारी रखने एवं अनुदान के इए आवेदन प्राप्त करने के अनुदेश नहीं मि

2. वैसे मामलों में, जहाँ अनुदान संबंधी कार्रवाई की लिए आवेदन प्राप्त हो गये हों, अनुदान तभी निर्गत की जाएगी जब भारत सरकार द्वारा देय संबंधित फंड उपब्ध हो।

3. प्रत्येक योजना की प्रमुख, जैसा कि इस पुस्तिका में दिया गया है, भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और ये समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाले निर्देशों के आधार पर बदल भी सकते हैं।

4. बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा अनिवार्य रूप से अपने नियंत्रक कार्यलयों के माध्यम से ही अनुदान के लिए दावों के आवेदन नाबार्ड को भेजने तथा सभी संबंधित पत्राचार करने होगें। शाखाओं से सीधे प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. इस पुस्तिका में दर्शायी गई सूचनाएँ/मानदंड झारखण्ड राज्य के लिए लागू हैं।

अधिक विवरण के लिए झारखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, राँची अथवा बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा या चाईबासा के जिला विकास कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।

क्र	योजना के नाम	कौन पात्र है	उपेक्षित मानदंड			
			भौतिक	कूल वित्तीय लागत	बैंक ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्रामीण गोदाम	व्यक्ति, किसान, किसानों/उत्पादकों के समूह, साझेदारी/मालिकाना, फर्म, गैर सरकारी संस्थाएँ, स्वयं सहायता समूह, कंपनी, निगम, सहकारी संस्थाएँ, स्थानीय निकाय-नगर निगम को छोड़कर, परिसंघ, कृषि उपज विपणन समितियाँ, विपणन बोर्ड और प्रसंस्करण निगम.	न्यूनतम- 100 मेंटन, अधिकतम-30000 मे टन विशेष मामलों में 50 मे टन पर विचार किया जा सकता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 मे टन है	इन में से न्यूनतम: अ. बैंक द्वारा अनुमोदित इ. रू. 3500 प्रति मे. टन भंडारण क्षमता 1000 मे. टन के लिए/ रू. 3000 प्रति में टन भंडारण क्षमता 1000 में टन से अधिक/ रू. 4000 प्रति मे. टन पहाड़ी क्षेत्र के लिए	कूल वित्तीय लागत का न्यूनतम 50:	अधिसूचित जाति/जनजाति तथा महिला किसान-33.33: सामान्य - 15: सहकारी, किसान, कृषि स्नातक - 25:
2	कृषि विपणन आधारभूत संरचना के ग्रेडिंग एवं प्रमाणीकरण	व्यक्ति, किसानों/उत्पादकों/उपभोगताओं का समूह, साझेदारी/मालिकाना फर्म, गैर सरकारी संस्थाएँ, स्वयं सहायता समूह, कम्पनी, निगम, सरकारी स्वायत्तशाषी निकाय, सहकारी संस्थाएँ, सहकारी विपणन समितियाँ और विपणन बोर्ड.	आधारभूत संरचना जिसमें एसेम्बलिंग, ड्राईंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, मानकीकरण, आदि सम्मिलित हैं	निश्चित ब्यौरा नहीं	न्यूनतम समान्य-50: या अनुसूचित जाति/जनजाति-46.67:	सामान्य - 25: या अनुसूचित जाति/जनजाति और उनकी सहकारी संस्था - 33.33: या
3	राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना	जैविक खाद पर जैविक कीटनाशक उत्पादन यूनिट - व्यक्ति, किसानों/उत्पादकों के समूह, साझेदारी/मालिकाना फर्म, सहकारी संस्थाएँ, उर्वरक उद्योग, बीज उद्योग,कंपनी, निगम, फल - सब्जी कचरा कॉम्पोस्ट इकाई, ए. पी. एम. सी., नगर निकाय और निजी उद्यमी.	जैविक खाद और जैविक कीटनाशक उत्पादन यूनिट और फल सब्जी कचरा कम्पोस्ट इकाईयां	निश्चित ब्यौरा नहीं	जैविक खाद- 42: से 50: और फल-सब्जी कचरा कॉम्पोस्ट इकाई-34: से 42:	जैविक खाद और जैविक कीटनाशक-25: और फल - सब्जी कचरा कॉम्पोस्ट - 25: से 33:

4	एग्रो - क्लिनिक और एग्रो बिजनेस	**अ.** राज्य कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय या आई.सी.आर./यू. जी.सी. से मान्यता -प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि एवं सम्बंद्ध विषयों में स्नातक**आ.** राज्य कृषि एवं सम्बंद्ध विभाग/राज्य तकनीकि शिक्षा विभाग से डिप्लोमा; न्यूनतम 50: अर्द्धस्नातकोत्तर डिप्लोमा **इ.** जीव विज्ञान स्नातक के साथ कृषि एवं सम्बंद्ध विषयों से स्नातकोत्तर **ई.** यू. जी. सी. से मान्यता प्राप्त वैसे कोर्स जिसमें 60: से अधिक कृषि एवं सम्बंद्ध विषयों हों, में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा **ऊ.** इंटर यानि प्लस 2 स्तर में कृषि से संबंधित कोर्स में न्यूनतम 55: अंक.	कृषि बागवानी, रेशम - कीट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन और सम्बंद्ध क्षेत्र या इन गतिवधियों में से संयुक्त रूप से दो या अधिक.	अधिकतम - 20 लाख रूपये; 25 लाख रूपये अत्यधिक सफल उम्मीदवार के लिए 100 लाख रूपये ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यक्ति हों तथा इनमें से एक प्रबंधकीय पृष्ठभूमि से हो सकता है	कुल वित्तीय लागत और मार्जिन का अंतर	अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला 44 : या अंतर
5	डेरी उद्यमिता विकास योजना	किसान, व्यक्तिगत, उद्यमी, गैर संस्थाएं, कंपनी, असंगठित और संगठित क्षेत्रों के समूह आदि, संगठित क्षेत्रों के समूह में स्वयं सहायता समूह, डेरी सहकारी समिति, मिल्क युनियन, मिल्क फेडरेशन सम्मिलित हैं.	1) छोटी डेयरी इकाइयों की स्थापना - न्यूनतम इकाई आकार 2 पशु एवं अधिकतम 10 पशु 2) बछिया पालन - न्यूनतम इकाई आकार 5 बछिया एवं अधिकतम 20 बछिया 3) वर्मी कम्पोस्ट; सिर्फ डेरी फार्म के साथ ही, अलग से नहीं) 4) मिल्किंग मशीन/मिल्को टेस्टर.बल्क मिल्क कूलिंग इकाई; 2000 लीटर क्षमता तक) 5) स्वदेशी दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण उपकरण खरीदने हेतु 6) डेरी उत्पाद परिवहन सुविधायें एवं कोल्ड चेन 7) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था 8) निजी वेटनरी क्लिनिक की स्थापना 9) डेरी विपणन आउटलेट/डेरी पार्लर.	1) छोटी डेरी इकाईयों की स्थापन - 5.00 लाख रूपये 2) बछिया पालन- 4.80 लाख रूपए 3) वर्मी कम्पोस्ट- 20000 रूपए 4) मिल्किंग मशीन/ मिल्को टेस्टर/बल्क मिल्क कूलिंग इकाई-18 लाख रूपए 5) स्वदेशी दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण उपकरण खरीदने हेतु- 12.00 लाख रूपए 6) डेरी उत्पाद परिवहन सुविधाएँ एवं कोल्ड चेन-24.00 लाख रूपए 7) दुग्ध एवं दुग्धउत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की व्यवस्था - 30.00 लाख रूपये 8) निजी वेटनरी क्लिनिक की स्थापना -2.40 लाख रूपये चलंत क्लिनिक के लिए और 1.80 लाख रूपए अचल क्लिनिक के लिए 9) डेरी विपणन आउटलेट/डेरी पार्लर- 56000.00 रूपये.	कूल वित्तीय लागत और मार्जिन अंशदान का अंतर	परियोजना लागत का 25:
6	सुअर विकास	उत्पादक कंपनियां, साझदारी फर्म, निगम, गैर सरकारी संस्थाएँ, स्वयं सहायता समूह, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, सहकारी संस्थाएँ और निजी उद्यमी.	1) सुअर प्रजनन फार्म-(20 मादा तथा 4 नर) 2) सुअर पालन एवं फैटनिंग इकाई 3) खुदरा आउटलेट 4) लाईव (सक्रिय)बाजार सुविधा/2 प्रति जिला.	1) सुअर प्रजनन फार्म-20 मादा तथा 4 नर 6.00 लाख रूपये 2) सुअर पालन एवं फैटनिंग इकाई-0.76 लाख रूपये 3) खुदरा आउटलेट-10.00 लाख रूपये 4) लाईव; सक्रियवद्ध बाजार सुविधा/2 प्रति जिला - मानदंड तय नही है.		

7	पोल्ट्री वेंचर केपिटल फंड	किसान, कंपनी, निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, जॉइंट लायबलिटी ग्रुप, सहकारी संस्थाएँ और व्यक्तिगत उद्यमी	1) प्रजनन फार्म निम्न इनपुट तकनीकि पक्षी यथा, टर्की, बत्तख, जापानी क्वेल, एमू आदि. 2) सेंट्रल ग्रोअर इकाई- 16000 लेयर चूजे प्रति बैच 3) हाइब्रिड लेयर, चूजे 4) इकाई 5000 लेयर तक 5) अन्य पोल्ट्री प्रजाति पालन; कॉमर्सियल लेयर और ब्रोयलर छोड़कर 6) फीड मिक्सिंग इकाई, 7) 1.0 टन प्रति घंटे, डिजिज इन्वेस्टीगेशन लैब 8) परिवहन के लिए गाड़ी - खुला पिंजरा 9) परिवहन के लिए गाड़ी शीतलीकृत 10) खुदरा आउटलेट ड्रेसिंग इकाई 11) चलंत विपणन इकाई 12) पोल्ट्री उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज 13) अंडे ब्रोयलर ठेला 14) बड़ा प्रसंस्करण इकाई 2000 से 4000 पक्षी प्रति घंटे 15) एमु प्रसंस्करण इकाई 16) प्रद्योगिकी अपग्रेडेशन	1) प्रजनन फार्म- 30.00 लाख रूपए 2) सेंटल ग्रोअर इकाई-16000 लेयर चूजे प्रति बैच- 40.00 लाख रूपये 3) हाइब्रिड लेयर तक- 8.00 लाख रूपये 4) इकाई - 5000 पक्षी तक - 2.24 लाख रूपये 5) अन्य पोल्ट्री प्रजाति पालन, कॉमर्सियल लेयर और ब्रॉयलर छोड़कर- 10-00 लाख रूपए 6) फीड मिक्सिंग इकाई - 16.00 लाख रूपये 7) परिवहन के लिए गाड़ी- खुला पिंजरा 8.00 लाख रूपये 8) परिवहन के लिए गाड़ी शीतलीकृत 15.00 लाख रूपए 9) खुदरा आउटलेट ड्रेसिंग इकाई - 6.00 लाख रूपए 10) खुदरा आउटलेट विपणन इकाई -6.00 लाख रूपए; 11)चलंत विपणन इकाई 12) पोल्ट्री उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज 20.00 लाख रूपये 13) अंडे/ब्रोयलर ठेला 14) 10.00 लाख रूपये 15) बड़ा प्रसंस्करण इकाई 2000 से	न्यूनतम - 40:	अनुसूचित जाति/जनजाति-33.33:या सामान्य 25:
8	पोल्ट्री विकास योजना	1) पोल्ट्री इस्टेट-निम्न व्यवसायिक गतिविधि वाली राज्यों में लागू होगा. लाभार्थी में महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, पढ़े - लिखे बेरोजगार युवा और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े होगें, योजना भारत/ राज्य सरकार द्वारा लागू किया जायेगा, 2) मदर इकाइयाँ- ग्रामीण इंबा लंतक; घर के पिछड़े पर पोल्ट्री गरीब-रेखा श्रेणी के नीचे के किसान परिवार, राज्य सरकार द्वारा लागू.	1)पोल्ट्री इस्टेट 200 बर्ड्स वाली लेयर या ब्रोयलर न्यूनतम 50 इकाइयाँ और अधिकतम 100 इकाइयाँ. भूमि की आवश्यकता -1 स्टेट के लिए 50 एकड़, 2) मदर इकाइयाँ- ग्रामीण इंबा लंतक; घर के पिछवाड़े पोल्ट्री - अधिकतम 10 मदर इकाइयाँ; 1500 चूजे प्रति बैच प्रत्येक जिला/कलस्टर में	1) पोल्ट्री स्टेट **अ.** आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए - 45.00 लाख रूपये **आ.**फीड मिक्सिंग प्लांट और फीड विश्लेष्ण लैब के लिए उपकरण- 10.00 लाख रूपये **इ.** इन- हाउस डिजिज डायग्नोस्टिक लैब - 5.00 लाख रूपये ई. अंडे सेने, पैरेंट फीड इंटीग्रेडीएन्ट आदि - 15.00 लाख रूपये उ. प्रशिक्षण-4.50 लाख रूपए ऊ. विपणन- 5.00 लाख रूपए ए. परामर्श कार्य 0.50 लाख रूपये 2) मदर इकाई - 1.36 लाख रूपए प्रति इकाई.	1) पोल्ट्री स्टेट निश्चित रूप से उल्लेख नहीं 2) मदर इकाई निश्चित रूप से उल्लेख नहीं	1)पोल्ट्री स्टेट अ. के आधारभूत संरचना के लिए विकास के लिए आर्थिक अनुदान-75.25 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार 2.00 करोड़ रूपये अधिकतम, आ. किसानों को आई. एफ. एल.-ब्रॉयलर स्टेट के लिए 1.20 करोड़ रूपए और लेयर स्टेट के लिए 3.00 करोड़ रूपये 2) मदर इकाई- पक्षियों , लाभार्थियों के परिवार के अचल लागत, राज्य के पोल्ट्री फार्म में मदर इकाई प्रदर्शन हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी.
9	छोटे पागुर करने वाले पशु और खरगोश का समेकित विकास	अकेला किसान, स्वयं सहायता समूह के लाभग्राही, जो इनके पालन के इच्छुक हैं, परंपरागत गड़ेरिये, महिला अनुसूचित जाति/जनजाति को वरीयता दी जाएगी. अकेला किसान, गैर सरकारी संस्था और कम्पनी प्रजनन फार्म के लिए पात्र होगें तथा इसमें उनको वरीयता दी जाएगी जिन्होंने छोटे पागुर करने वाले पशु; और खरगोश पालने के लिए किसानों को समूह में गठित किया है.	1) भेड़ और बकरी पालन; 402 2) भेद और बकरी प्रजनन इकाई; 50025 3) खरगोश पालन इकाई	1) भेड़ और बकरी पालन 1.00 लाख रूपये 2) भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई - 25.00 लाख रूपये 3) खरगोश पालन इकाई 2.25 लाख रूपए	बैंक ऋण, अनुदान राशि सहित, कूल परियोजना लागत का 50: से कम नहीं होगा यह अनुसूचित जाति/ जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 58.33: से कम नहीं होगा.	अनुसूचित जाति/जनजाति - 33.33: य सामान्य 25:
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन- होम लैंटिंग सिस्टम	व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, स्वयं सहायता समूह, जॉइंट लायब्लिटी ग्रुप, गैर सरकारी संस्थाएं, किसान क्लब आदि.	सोलर होम लाइटिंग सिस्टम के 9; 1 से 2 अलग- अलग प्रकार के मॉडल	मॉडलों के बेंचमार्क लागत: 1) 2700, 2) 4800-5400, 3) 9990-10800 4) 13500 5) 18900-21600 6) 27000 7) 33750 8) 40500-43200 9) 54000- 56700	कुल वित्तीय लागत और मार्जिन अंशदान का अंतर	बेंचमार्क लागत का 40:

11	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन- सोलर वाटर - हिटिंग सिस्टम	व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, स्वयं सहायता समूह, जॉइंट लायबलिटी ग्रुप, गैर सरकारी संस्थाएँ, किसान क्लब आदि.	2 मॉडल 1) फ़्लैट कलेक्टर आधारित सिस्टम 2) इवाक्यूटेड ट्यूब कलेक्टर आधारित सिस्टम घरेलू उपयोगकर्त्ता: 500 लीटर प्रति दिन तक व्यवसायिक उपयोगकर्त्ता: 500 लीटर प्रति दिन से अधिक	1) फ़्लैट प्लेट कलेक्टर आधारित सिस्टम - अ. घरेलू उपयोगकर्त्ता 110000 रूपये प्रति वर्गमीटर आ. व्यवसायिक उपयोगकर्त्ता: 10000 रूपये प्रति वर्गमीटर 2) इवाक्यूटेड ट्यूब कलेक्टर आधारित सिस्टम अ. घरेलू उपयोगकर्त्ता: 8500 रूपये प्रति वर्गमीटर आ. व्यवसायिक उपयोगकर्त्ता: 8000 रूपये प्रति वर्ग	अनुदान के दावे के लिए बैंचमार्क लागत का 50: या सॉफ्ट ऋण के लिए लागत का 80:/5:प्रति वर्ष	1) फ़्लैट प्लेट कलेक्टर आधारित सिस्टम - अ. घरेलू उपयोगकर्त्ता: 3300 रूपये प्रति वर्ग मीटर या बैंचमार्क लागत का 30:, जो भी निम्नतर हो. 2) इवाक्यूटेड ट्यूब कलेक्टर आधारित सिस्टम, - अ. घरेलू उपयोगकर्त्ता: 2500 रूपये प्रति वर्गमीटर या बैंचमार्क लागत का 30, जो भी निम्नतर हो

र जाते|

अनुदान
8
न्यूनतम- सामान्य-25: या महिला किसान, अनु.जाति/जनजाति और उनकी सहकारी संस्थाएँ,राज्य/सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन-
प्रोजेक्ट लागत का बाकी
जैविक खाद-25: से 33: और फल-सब्जी कचरा कॉम्पोस्ट- 25:से 33:

5 लाख रूपए तक - कोई मार्जिन राशि नहीं 5 लाख रूपए से अधिक- भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंड के अनुसार
भूमि की लागत का न्यूनतम 10:, जो कुल परियोजना लागत से 10:, जो कुल परियोजना लागत से 10: से अधिक न हो, मार्जिन अंशदान का हिस्सा हो सकता है

न्यूनतम - 10:. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशानुसार 1.00 लाख रूपए तक के लिए कोई मार्जिन अंशदान नहीं
1) पोल्ट्री स्टेट न्यूनतम 10: 2) मदर इकाई- निश्चित रूप से उल्लेख नहीं
न्यूनतम - 10:
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार